रीडर
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

05/02/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप. हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 592, 593, 579, 580/747 के पडोसी खातेदारो को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया है अतः वकील प्रार्थी उक्त खसरान के पडोसी खसरा नम्बरान में अंकित खातेदारो को पक्षकार के रूप में संयोजित करे। पत्रावली दि. 27/02/24 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

दिनांक 27/2/24
पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. किशनगढ़ द्वारा कार्य का स्थगन रखा गया। अतः पत्रावली P.O. सा. के समक्ष दि. 8/5/24 को पेश हो।

8/5/24 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. पी. ओ. साहब दौरे/अवकाश पर गये हैं। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 14/05/24

14/05/24 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप. वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राज. अधि. 1956 पर बहस का निवेदन किया गया। हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की एकपक्षीय सुनी गई अतः पत्रावली वास्ते प्रार्थना पत्र पर आदेश हेतु दि. 28/05/24 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
C/No. - 223/ किशनगढ़ (अजमेर)

28/05/24 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू.राज. अधि. 1956 का स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से पत्रावली में शा. मि. किया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर पत्रावली नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 223/2019

1. रामलाल पुत्र धूंकल
2. श्रीमती हरकू पत्नी स्व. श्री छगनलाल
3. नौरतमल पुत्र स्व. श्री छगनलाल
4. रामगोपाल पुत्र स्व. श्री छगनलाल
5. श्रीमती कमलेश धर्मपत्नी स्व. उमराव
6. गिरधारी पुत्र स्व. उमराव
   नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता रीमती कमलेश धर्मपत्नी स्व. उमराव
   समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम मुण्डोलाव तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज0
7. श्रीमती बरजी पुत्री स्व. श्री छगनलाल पत्नी श्री हरदीन
8 श्रीमती मानी पुत्री स्व. श्री छगनलाल पत्नी श्री श्योजी
9. श्रीमती प्रेमा पुत्री श्री छगनलाल पत्नी श्री राधाकिशन
   समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम दादिया तहसील अरॉई जिला अजमेर राज.
10. तेजमल पुत्र श्री धूंकल
11. श्रवण पुत्र श्री धूंकल
12. करतार पुत्र श्री मोहनलाल
13. सकराम पुत्र श्री मोहनलाल
14. श्रीमती घीसी धर्मपत्नी स्व. श्री मोहनलाल
    समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम मुण्डोलाव तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर मुण्डोलाव तहसील
15. श्रीमती मनराज पुत्री स्व. श्री मोहनलाल पत्नी श्री हरि जाति जाट निवासी ग्राम मोडी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर
16. पन्नालाल पुत्र श्री रामलाल
17. गंगाराम पुत्र श्री भँवरलाल
18. गुमान पुत्र श्री भँवरलाल
19. हंसराज पुत्र श्री देवाराम
20. विश्राम पुत्र श्री देवाराम
21. महावीर पुत्र श्री देवाराम
    समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम मुण्डोलाव तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.
22. श्रीमती इन्द्रा पुत्री स्व. श्री देवाराम पत्नी श्री रामदयाल
23. श्रीमती मन्ना पुत्री स्व. श्री देवाराम पत्नी श्री बद्री
24. समस्त जाति जाट निवासी ग्राम कटसूरा तहसील अरॉई जिला अजमेर राज.
25. प्रेमलाल पुत्र श्री पूसाराम
26. शिवराज उर्फ श्योंजी पुत्र श्री पूसाराम
27. श्योकरण पुत्र श्री जगन्नाथ
28. सोभाग पुत्र श्री भँवरलाल
29. मिश्रीलाल पुत्र श्री अर्जुन
30. रामेश्वर पुत्र रामकरण

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

31. देवक़रण पुत्र गौकुल
32 किशनलाल पुत्र श्री गौकुल
33. हरिराम पुत्र श्री गौकुल
34. मोहनलाल पुत्र श्री छीतर
35. कैलाश पुत्र श्री भँवरलाल
36. गणेश पुत्र श्री हरजी

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम मुण्डोलाव तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

दिनांकः 28/05/2024

उपस्थितः श्री करतार सिंह चौधरी प्रार्थीगण अभिभाषक
अप्रार्थी

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री करतार सिंह चौधरी के माध्यम से अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

2.1 प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में दावा किया है कि ग्राम मुण्डोलाव पटवार हल्का बालापुरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर की आराजी खसरा नम्बर 592 रकबा 17–04–00 किस्म बारानी फर्स्ट प्रार्थीगण नं. 1 लगायत 23 के स्वामित्व, कब्जे काश्त व खातेदारी की है जिस पर प्रार्थीगण नं. 1 लगायत 23 काबिज है तथा खसरा नम्बर 593 रकबा 00–09–00 किस्म गैर मुमकिन चाह प्रार्थीगण नं. 1 लगायत 25 के स्वामित्व, कब्जे काश्त व खातेदारी की है जिस पर प्रार्थीगण सं. 1 लगायत 25 काबिज है। खसरा नम्बर 594 रकबा 12–19–00 किस्म बारानी फर्स्ट व चाही 3 प्रार्थीगण नं. 1 लगायत 25 तथा 30 लगायत 36 के स्वामित्वं कब्जे काश्त व खातेदारी की है जिस पर प्रार्थीगण सं. 1 लगायत 23 काबिज है एवं खसरा नम्बर 579 रकबा 20–10–00 किस्म बारानी फर्स्ट व खसरा नम्बर 581/747 रकबा 01–00–00 किस्म बारानी प्रार्थीगण नं. 1 लगायत 29 के स्वामित्व, कब्जे काश्त व खातेदारी की है जिस पर प्रार्थीगण सं. 1 लगायत 29 काबिज है। प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 में उल्लेखित आराजी खसरा नम्बर 592, पेरा संख्या 2 में उल्लेखित आराजी

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

खसरा नम्बर 593 व पेरा संख्या 3 में उल्लेखित आराजी खसरा नम्बर 594 के पश्चिम दिशा में ग्राम मुण्डोलाव से ग्राम तिहारी जाने वाली पक्की सार्वजनिक सड़क है जिसका उपयोग आम जन करते है तथा इसी सड़क से ग्रामवासियों के पशुधन व आवारा पशु भी आते जाते रहते हैं जिस कारण प्रार्थीगण की उपरोक्त उल्लेखित कृषि आराजियात खसरा नम्बर 592, 593 व 594 में बोई गई फसलों में भारी नुकसान होता है तथा हर वर्ष कृषि काश्त व अन्य कृषि कार्यो के दौरान पडौसी खेतों वालो से भी अक्सर विवाद होता रहता है। इसी प्रकार प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 4 में उल्लेखित आराजी खसरा नम्बर 579 व पेरा नं. 5 में उल्लेखित कृषि आराजी खसरा नम्बर 581/747 की पूर्व दिशा में भी ग्राम मुण्डोलाव से ग्राम तिहारी जाने वाली पक्की सार्वजनिक सड़क है जिसका उपयोग आम जन करते है तथा इसी सड़क से ग्रामवासियों के पशुधन व आवारा पशु भी आते जाते रहते है जिस कारण प्रार्थीगण की उपरोक्त उल्लेखित कृषि आराजियात खसरा नम्बर 592, 593 व 594 में बोई गई फसलों में भारी नुकसान होता है तथा हर वर्ष कृषि काश्त व अन्य कृषि कार्यों के दौरान पडौसी खेतों वालो से भी अक्सर विवाद होता रहता है। राज्य सरकार की योजना अनुसार प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त उल्लेखित कृषि आराजियात खसरा नम्बर 592, 593 व 594, 579, 581/747 में ग्राम वासियों के पशुओं व आवारा पशुओं से उपरोक्त आराजीयात में खड़ी फसलों में निरन्तर हो रहे नुकसान व प्रतिवर्ष पड़ौसी खेतों वालों से कृषि कार्यों के दौरान होने वाले विवाद के कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की उपरोक्त कृषि आराजियात में तारबन्दी करवाना चाहते है ताकि प्रार्थीगण की उपरोक्त उल्लेखित कृषि आराजियात में खड़ी फसलों में भविष्य में किसी प्रकार का नुकसान व पड़ौसी खेतों वालों से कोई विवाद न हो सके। तारबन्दी किये जाने से पूर्व प्रार्थीगण की उपरोक्त उल्लेखित कृषि आराजियात खसरा नम्बर 592, 593 व 594, 579, 581/747 का सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाया जाना आवश्यक है इसी कारण प्रार्थीगण की ओर से उनकी उपरोक्त उल्लेखित कृषि आराजियात के सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी हेतु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। पूर्व में प्रार्थी नं. 17 गंगाराम पुत्र भँवरलाल द्वारा उपरोक्त उल्लेखित कृषि आराजियात खसरा नम्बर 592, 593 व 594 के सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर तहसीलदार (भू अभिलेख) किशनगढ (अजमेर) के आदेश क्रमांक/ भू–अ/18/193 द्वारा दिनांक 02.07.2018 को पटवारी हल्का बालापुरा द्वारा सीमाज्ञान करवाया गया था सीमाज्ञान को लेकर अक्सर विवाद करते रहते है इसी कारण यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। पूर्व में प्रार्थी नं. 27

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

श्योकरण पुत्र जगन्नाथ द्वारा उपरोक्त उल्लेखित कृषि आराजियात खसरा नम्बर 579, 581/747 के सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर तहसीलदार (भू अभिलेख) किशनगढ (अजमेर) के आदेश क्रमांक/भू–अ/18/194 द्वारा दिनांक 02.07.2018 को पटवारी हल्का बालापुरा द्वारा सीमाज्ञान करवाया गया था सीमाज्ञान को लेकर अक्सर विवाद करते रहते है इसी कारण यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण भविष्य में होने वाले विवाद व फसल सुरक्षा हेतु तारबन्दी करवाये जाने से पूर्व अपनी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कृषि आराजियात खसरा नम्बर 592, 593 व 594, 579, 581/747 का सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है इसी कारण यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 व 128 के अर्न्तगत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थीगण द्वारा न्यायहित में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अप्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं सहायक भू अभिलेख अधिकारी, किशनगढ को प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 लगायत 5 में उल्लेखित ग्राम मुण्डोलाव पटवार हल्का बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर की कृषि आराजियात खसरा नम्बर 592, 593 व 594, 579, 581/747 का सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी करवायें जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

3. अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (**Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4**) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर उनका जवाब का अवसर बन्द किया गया।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राज्य सरकार की योजना अनुसार प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में उल्लेखित अपनी कृषि आराजियात खसरा नम्बर 592, 593 व 594, 579, 581/747 में ग्राम वासियों के पशुओं व आवारा पशुओं से उपरोक्त आराजीयात में खड़ी फसलों में निरन्तर हो रहे नुकसान व प्रतिवर्ष पड़ौसी खेतों वालों से कृषि कार्यों के दौरान होने वाले विवाद के कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की उपरोक्त कृषि आराजियात में तारबन्दी करवाना चाहते है ताकि प्रार्थीगण की उपरोक्त उल्लेखित कृषि आराजियात में खड़ी फसलों में भविष्य में किसी प्रकार का नुकसान व पड़ौसी खेतों वालों से कोई विवाद न हो सके। अतः प्रार्थीगण द्वारा न्यायहित में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अप्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं सहायक भू अभिलेख अधिकारी, किशनगढ को प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

लगायत 5 में उल्लेखित ग्राम मुण्डोलाव पटवार हल्का बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर की कृषि आराजियात खसरा नम्बर 592, 593 व 594, 579, 581/747 का सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी करवायें जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया। ग्राम मुण्डोलाव स्थित आराजी ख0नं0 592 रकबा 17–04–00 भूमि प्रार्थीगण नं. 1 लगायत 23, ख0नं0 593 रकबा 00–09–00 प्रार्थीगण नं. 1 लगायत 25, ख0नं0 594 रकबा 12–19–00 प्रार्थीगण नं. 1 लगायत 25 तथा 30 लगायत 36 के एवं ख0नं0 579 रकबा 20–10–00, ख0नं0 581/747 रकबा 01–00–00 प्रार्थीगण नं. 1 लगायत 29 के सहखातेदारी की भूमि है। सलंग्न राजस्व मानचित्र नक्शा में ख0नं0 592, 593 व 594, 579, 581/747 भूमि का स्पष्ट अंकन है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उपरोक्त विवेचन एवं उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़ को 2000/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर ग्राम मुण्डोलाव स्थित ख0नं0 592, 593 व 594, 579, 581/747 भूमि का राजस्व मानचित्र/जमाबन्दी में वर्णित क्षेत्रफल अनुसार सम्बन्धित पक्षकारान् की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर शुल्क जमा कराने पर पालना हेतु तहरीर जारी होवे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 28/05/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

(अर्चना चौधरी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)